

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-प्रारं/नियुक्ति-2/982/अ.भर्ती 2022/48000 पद/दस्ता.सत्या./2023-01954 दिनांक: यथाहस्ताक्षर

सूचना

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 अन्तर्गत संशोधित परिणाम में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त मूल पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु श्रेणीवार अन्य अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्व में जारी दोगुना की विचारित सूची के अतिरिक्त सम्मिलित किया गया है। जिसका परिणाम बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 26.09.2025 को जारी किया गया है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर कार्यालय के पत्रांक एफ.14(107)(9)आरएसएसबी/अर्थना/प्रा.शि./अध्यापक-एल-2/भर्ती 2022/00589 दिनांक 09.10.2025 द्वारा अध्यापक लेवल-द्वितीय विज्ञान-गणित (सामान्य/विशेष शिक्षा) के 41 अभ्यर्थियों एवं अध्यापक लेवल-द्वितीय अंग्रेजी (सामान्य/विशेष शिक्षा) के 131 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी कर विभाग को प्रेषित की गई है। उक्त सूची पूर्णतया अनन्तिम (Purely Provisional) है। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाये गए अभ्यर्थियों में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन भर्ती एजेन्सी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म (Scrutiny Form) भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 27.10.2025 से दिनांक 02.11.2025 तक लिंक खोला जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-द्वितीय विज्ञान-गणित (सामान्य/विशेष शिक्षा) के सूचीबद्ध 41 अभ्यर्थी एवं अध्यापक लेवल-द्वितीय अंग्रेजी (सामान्य/विशेष शिक्षा) के सूचीबद्ध 131 अभ्यर्थी <http://sso.rajasthan.gov> पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म (Detailed Form Cum Scrutiny Form) को मय आवश्यक दस्तावेज भरा जाना सुनिश्चित करें।

सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म (Detailed Form Cum Scrutiny Form) भरे जाने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जांच की कार्यवाही आवेदन पत्र में भरे गए गृह जिले में दिनांक 10.11.2025 से 11.11.2025 तक प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर करवायी जावेगी। अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, जयपुर द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अध्यापक लेवल-द्वितीय विज्ञान-गणित (सामान्य/विशेष शिक्षा) के 41 तथा अध्यापक लेवल-द्वितीय अंग्रेजी (सामान्य/विशेष शिक्षा) के 131 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। उक्त सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के अलावा अन्य कोई भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु स्वीकार योग्य/पात्र नहीं होगा।

दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान दें :-

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2022 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 16.12.2022 को जारी विज्ञापन संख्या 13/2022 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

2. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म (Detailed Form Cum Scrutiny Form) भरना अनिवार्य है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर (सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम पर) के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे।
3. पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी।
4. दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच के समय अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म (Detailed Form Cum Scrutiny Form) मय समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति अपने साथ लावें। (दो प्रतियों में)
5. समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित वर्ग प्रमाण पत्र (OBC/EWS/MBC/SC/ST/SAHARIYA), मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी (विधवा/परित्यक्ता/भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ी/दिव्यांग) का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजों के 2 सैट मय मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ लावें।
6. अभ्यर्थी अपना ई-आधार कार्ड डाउनलोड कर जिसमें QR Code अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ लावें।
7. अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना/मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक में सम्पर्क कर सकते हैं।
8. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह समय-समय पर विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट <https://education.rajasthan.gov.in/elementary> का अवलोकन करें।
9. भर्ती एजेन्सी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से प्राप्त दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची के अलावा अन्य किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच की कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की जावेगी।

संलग्न- उपर्युक्तानुसार

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं प.राज(प्रा.शि.)

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं प.राज(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।

3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सूचना चयन बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करावे एवं ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म भरने हेतु निर्धारित दिनांक को लिंक खोला जाना सुनिश्चित करावे।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच का कार्य पूर्व में पत्र दिनांक 02.07.2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं प.राज(प्रा.शि.)
राजस्थान, बीकानेर